राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 20 / 2022. किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0 निटूटी बनाम श्री रूपाराम पुत्र श्री हेमाराम
जाति जाट नि. रामनगर

<u>निर्णय</u> दिनांकः– 14.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम रामनगर के आराजी खसरा नंबर 214 किस्म बारानी 2 व बंजर 2 रकबा 0.3236 है. पड़त कब्जाकर गैर सायल ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। गैर सायल को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहा है न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई जाकर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर प्रकरण निर्णीत किया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम रामनगर के आराजी खसरा नंबर 214 किस्म बारानी 2
व बंजर 2 रकबा 0.3236 है.से बेदखल किया जाता है तथा लगान 1.20 का 50 गुणा 60/–रुपये जुर्माना किया
जाता है तथा गैरसायल को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी / टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से गैर सायल को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश मेरे द्वारा कम्प्यूटर में टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा बाद नम्बर से कम होकर पत्रावली पूर्ति संग्रह भण्डार हो।

नायब तहसीलदार
रूपनगढ(अजमेर)

वर्ष 2022-23 रा.ले.सं.4 के पृष्ठ संख्या 25 पर रु. 60/- की मांग कायमी की गई।
20/7/22
तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner